

आदेश

दिनांक—21.02.2023 को बिहार पुलिस केन्द्रीय प्रशासी समिति की बैठक के वृत्त की कंडिका—7(घ) में बिहार पुलिस सहाय्य एवं कल्याण कोष से पुलिस पदाधिकारी, कर्मी एवं उनके आश्रित को क्षेत्रीय/जिला/इकाई की उप—समिति को अधिकतम 5,000 की राशि को बढ़ाकर 10,000 रुपये की अनुदान राशि स्वीकृत करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है।

तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

पुलिस महानिदेशक, बिहार के आदेशानुसार।



सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कल्याण)
बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या वित्त—2/IV-01-02-2023/.....274.....

बिहार पुलिस मुख्यालय
(मुख्यालय एवं बजट प्रभाग)
पटना, दिनांक.....24.02.2023

प्रतिलिपि:-

1. सभी अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार/सभी पुलिस महानिरीक्षक, बिहार/सभी पुलिस उप—महानिरीक्षक, बिहार/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, रेलवे सहित, बिहार/सभी समादेष्टा, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
2. पुलिस अधीक्षक,(वितंतु)/ पुलिस अधीक्षक (अ०)/विशेष शाखा/(सी०)/अपराध अनुसंधान विभाग/मंत्रिमंडल निगरानी/ आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
3. महामंत्री, बिहार, पुलिस एसोसिएशन बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
4. महामंत्री/संगठन महामंत्री, बिहार पुलिस मेन्स एसोसिएशन, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
5. अध्यक्ष/ महामंत्री, बिहार पुलिस अनुसंचिवीय कर्मचारी संघ, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रशाखा पदाधिकारी, वित्त—2 प्रशाखा, पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
7. आई०टी० मैनेजर पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।


सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कल्याण)
राज्य बिहार, पटना।